न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी कपिल शर्मा (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

प्रा0पत्र संख्या–53/2022
प्रा0पत्र प्रविष्टि दिनांक–23.09.2022
निर्णय दिनांक–03.04.2024

1. मनीषा पुत्री बन्नालाल जाति जाट निवासी ग्राम देवपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. मनीष पुत्र बन्नालाल जाति जाट निवासी ग्राम देवपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि जमाबंदी ग्राम देवपुरा संवत् 2075–78 तक की खाता संख्या 05 में दर्ज भूमि आराजी ख0न0 3316, 3320, 3328, 3331 कुल किता 04 कुल रकबा 3.1866 हैक्ट. ग्राम देवपुरा पटवार हल्का पीपलू द्वितीय तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण का 1/30 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो रखा है तथा जमाबंदी ग्राम मोहम्मदनगर संवत् 2074–77 के खाता संख्या 12 में वर्णित भूमि आराजी ख0न0 238, 241, 244 कुल किता 03 कुल रकबा 3.4900 हैक्ट. वाके ग्राम मोहम्मदनगर, पटवार हल्का नाथड़ी तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से हिस्सा 1/80 हैं तथा जमाबंदी संवत् 2074–76 खाता संख्या 14 में अंकित भूमि आराजी ख0न0 178 रकबा 3.5280 हैक्ट. ग्राम मोहम्मदनगर पटवार हल्का नाथडी में प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से हिस्सा 1/80 दर्ज है। जिसके प्रार्थीगण बहैसियत मालिक, स्वामी, खातेदार काबिज काश्तकार है। ग्राम देवपुरा के खाता संख्या 05 में प्रार्थी संख्या 01 का नाम काली पुत्री बन्नालाल व प्रार्थी संख्या 02 नाम धन्ना पुत्र बन्नालाल अंकित कर रखा है। इसी प्रकार मोहम्मदनगर के खाता संख्या 12 व 14 में प्रार्थी संख्या 01 नाम काली पुत्री बन्नालाल व अप्रार्थी संख्या 02 का नाम मनीष पुत्र बन्नालाल जाति जाट है। प्रार्थीगण के पिता का स्वर्गवास हो चुका है तथा उस समय प्रार्थीगण के पिता की विरासत का नामान्तकरण दर्ज करते समय प्रार्थीगण को घर पर पुकारे जाने वाला नाम काली पुत्री बन्नालाल व धन्ना पुत्र बन्नाालाल दर्ज कर दिया गया, जबकि प्रार्थीगण के आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक खाते आदि सभी दस्तावेज में भी प्रार्थी संख्या 01 का नाम मनीषा पुत्री बन्नालाल व प्रार्थी संख्या 02 का नाम मनीष पुत्र बन्नालाल सही रूप में अंकित हो रखा है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त उक्त ग्राम देवपुरा के खाता संख्या 05 व ग्राम मोहम्मदनगर के खाता

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

संख्या 12 व 14 में प्रार्थीगण के त्रुटीपूर्ण नाम के स्थान पर प्रार्थी संख्या 01 का सही नाम मनीषा पुत्री बन्नालाल व प्रार्थी संख्या 02 का नाम मनीष पुत्र बन्नालाल दर्ज करवाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू की गई तथा अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू से राजस्व रिकॉर्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार पीपलू ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त उनवानी प्रकरण मनिषा बनाम तहसीलदार पीपलू प्रार्थना पत्र संख्या 53/2022 में पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम मनिषा पुत्री बन्नालाल व मनीष पुत्र बन्नालाल जाति जाट दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा जनआधार कार्ड, आधार कार्ड, अंकतालिका में मनीषा पुत्री बन्नालाल, मनीष पुत्र बन्नालाल दर्ज है। ग्राम में की गई जानकारी मुताबिक काली का दुसरा नाम मनीषा व धन्ना का दूसरा नाम मनीष है। मजमेआम में उपस्थित लोगो से जानकारी करने पर बताया गया की उक्त दोनो नामों से प्रार्थीगणों को ही जाना जाता है। अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। जिसका मौका पर्चा भी संलग्न है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया की जमाबंदी ग्राम देवपुरा संवत् 2075–78 तक की खाता संख्या 05 में दर्ज भूमि आराजी ख0नं0 3316, 3320, 3328, 3331 कुल किता 04 कुल रकबा 3.1866 हैक्ट. ग्राम देवपुरा पटवार हल्का पीपलू द्वितीय तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण का 1/30 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो रखा है तथा जमाबंदी ग्राम मोहम्मदनगर संवत् 2074–77 के खाता संख्या 12 में वर्णित भूमि आराजी ख0नं0 238, 241, 244 कुल किता 03 कुल रकबा 3.4900 हैक्ट. वाके ग्राम मोहम्मदनगर, पटवार हल्का नाथड़ी तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से हिस्सा 1/80 हैं तथा जमाबंदी संवत् 2074–76 खाता संख्या 14 में अंकित भूमि आराजी ख0नं0 178 रकबा 3.5280 हैक्ट. ग्राम मोहम्मदनगर पटवार हल्का नाथडी में प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से हिस्सा 1/80 दर्ज है। जिसके प्रार्थीगण बहैसियत मालिक, स्वामी, खातेदार काबिज काश्तकार है। ग्राम देवपुरा के खाता संख्या 05 में प्रार्थी संख्या 01 का नाम काली पुत्री बन्नालाल व प्रार्थी संख्या 02 नाम धन्ना पुत्र बन्नालाल अंकित कर रखा है। इसी प्रकार मोहम्मदनगर के खाता संख्या 12 व 14 में प्रार्थी संख्या 01 नाम काली पुत्री बन्नालाल व अप्रार्थी संख्या 02 का नाम मनीष पुत्र बन्नालाल जाति जाट है। प्रार्थीगण के पिता का स्वर्गवास हो चुका है तथा उस समय प्रार्थीगण के पिता की विरासत का नामान्तकरण दर्ज करते समय प्रार्थीगण को घर पर पुकारे जाने वाला नाम काली पुत्री बन्नालाल व धन्ना पुत्र बन्नाालाल दर्ज कर दिया गया, जबकि प्रार्थीगण के आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक खाते आदि सभी दस्तावेज में भी प्रार्थी संख्या 01 का नाम मनीषा पुत्री बन्नालाल व प्रार्थी संख्या 02 का नाम मनीष पुत्र बन्नालाल सही रूप में अंकित हो रखा है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त उक्त ग्राम देवपुरा के खाता संख्या 05 व ग्राम मोहम्मदनगर के खाता संख्या 12 व 14 में प्रार्थीगण के त्रुटीपूर्ण नाम के स्थान पर प्रार्थी संख्या 01 का सही नाम मनीषा पुत्री बन्नालाल व प्रार्थी संख्या 02 का नाम मनीष पुत्र बन्नालाल दर्ज किया जावे।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

श्रीमति कविता सैनी, सरपंच ग्राम पंचायत पीपलू के प्रमाण पत्र पत्रांक–SP-01 दिनांक 30.12.2022 के अनुसार मनीष (धन्ना) पुत्र बन्नालाल व मनीषा (काली) पुत्री बन्नालाल जाति जाट निवासी ग्राम देवपुरा पीपलू के रहने वाले है। इन्हे दोनो ही नामों से जाना जाता है। यह प्रमाण पत्र मेरी सील व हस्ताक्षर से आज दिनांक को जारी किया गया है।

हमने पत्रावली व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, सरपंच ग्राम पंचायत पीपलू के प्रमाण पत्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका, जन्म प्रमाण पत्र, अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व साक्ष्य शपथ पत्र रामराज चौधरी पुत्र बन्नालाल जाति जाट निवासी ग्राम देवपुरा व मनभर देवी पत्नि बन्नालाल जाति जाट निवासी ग्राम देवपुरा तह0 पीपलू का अवलोकन किया व उभयपक्ष बहस पर मनन किया। उक्त अवलोकन से स्पष्ट हैं कि प्रार्थी संख्या 01 सही नाम मनीषा चौधरी पुत्र बन्नालाल चौधरी व अप्रार्थी संख्या 02 का सही नाम मनीष चौधरी पुत्र बन्नालाल चौधरी है। जबकि जमाबंदी संवत् 2075–78 के खाता संख्या 05 में वर्णित भूमि आराजी ख0न0 3316, 3320, 3328, 3331 कुल किता 04 कुल रकबा 3.1866 हैक्ट. वाके ग्राम देवपुरा पटवार हल्का पीपलू द्वितीय में प्रार्थी संख्या 01 का नाम काली पुत्री बन्नालाल जाति जाट व अप्रार्थी संख्या 02 धन्ना पुत्र बन्नालाल जाति जाट दर्ज रिकॉर्ड है व जमाबंदी संवत् 2074–76 के खाता संख्या 14 में वर्णित भूमि आराजी ख0न0 178 रकबा 3.5280 हैक्ट. वाके ग्राम मोहम्मदनगर पटवार हल्का नाथडी व जमाबंदी संवत् 2074–77 के खाता संख्या 12 में वर्णित भूमि आराजी ख0न0 238, 241, 244 कुल किता 03 कुल रकबा 3.4900 हैक्ट. वाके ग्राम मोहम्मदनगर, पटवार हल्का नाथड़ी में प्रार्थी संख्या 01 का नाम काली पुत्री बन्नालाल जाति जाट व अप्रार्थी संख्या 02 धन्ना पुत्र बन्नालाल जाति जाट दर्ज रिकॉर्ड है, जो जो त्रुटीपूर्ण है, **अतः उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी संख्या 01 काली पुत्री बन्नालाल जाति जाट के स्थान पर प्रार्थीया का शुद्ध नाम मनीषा चौधरी पुत्री बन्नालाल चौधरी जाति जाट व अप्रार्थी संख्या 02 धन्ना पुत्र बन्नालाल/मनीष पुत्र बन्नालाल के स्थान पर प्रार्थी का शुद्ध नाम मनीष चौधरी पुत्र बन्नालाल जाति जाट दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।** निर्णय आज दिनांक 03.04.2024 में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

(कपिल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

उप खण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner